



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

199-2015/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2015 (AGRAHAYANA 6, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th November, 2015

No. 18-HLA of 2015/88.- The Haryana State University of Horticultural Sciences, Karnal Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 18- HLA of 2015.

THE HARYANA STATE UNIVERSITY OF HORTICULTURAL SCIENCES, KARNAL BILL, 2015

A

BILL

to establish and incorporate a University in the State for the purposes of affiliating, teaching and ensuring proper and systematic instruction, training, research and extension in modern systems of horticultural sciences, vegetable sciences and allied sciences and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER-1 PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Haryana State University of Horticultural Sciences, Karnal Act, 2015. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force with immediate effect.

Definitions.

2. In this Act, Statutes and Regulations made thereunder, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "affiliated college" means a college or an institution admitted to the privileges of the University under this Act;
- (c) "Board" means the Board for the management of the University constituted under section 10;
- (d) "College" means the College of Horticulture at Karnal or any such college, as may be established and maintained by the University;
- (e) "Department" means department of the University;
- (f) "employee" means any person appointed by the University including teachers and other staff;
- (g) "existing university" means Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar;
- (h) "extension education" means the educational activities concerned with the training of horticulturist, para-horticulture staff, horticulture farmers, home makers and other groups concerned with horticulture, welfare, improved horticulture practices and various phases of scientific technology related to horticulture production and marketing and includes demonstration to carry the new technology and innovation of horticulture farms and farm homes through the Department of Horticulture, Department of Vegetable or any other designated department or agency;
- (i) "hostel" means a unit of residence for students;
- (j) "Horticulture" means the basic and allied sciences of fruits, vegetables, floriculture, plantation of crops, spices, medicinal and aromatic plants and shall include mushroom growing, landscaping, bee-keeping and production, marketing and processing of horticultural produce;
- (k) "institution" means any centre or other institution providing training for degree, diploma, certificate or other academic distinction;
- (l) "prescribed" means prescribed by the Statutes and Regulations made under this Act;
- (m) "State" means the State of Haryana;
- (n) "State Government" means the Government of the State of Haryana;
- (o) "Statutes" and "Regulations" mean respectively the Statutes and Regulations of the University made under this Act;
- (p) "student" means a person enrolled in the University or College or affiliated college or institution for taking a course of study for a degree, diploma, certificate or an academic distinction;
- (q) "teacher" means a person who is appointed by the University for the purpose of teaching and conducting research and extension on full time basis in College or affiliated College or an institution and includes Director, Dean, Principal, Senior Professor, Professor, Associate Professor, Reader, Assistant Professor, Lecturer;
- (r) "teaching" means imparting instructions related to Horticulture and allied sciences which shall also include horticultural research and extension;
- (s) "University" means the Haryana State University of Horticultural Sciences, Karnal.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY

Establishment of University.

3. (1) There shall be established a University by the name of the Haryana State University of Horticultural Sciences, Karnal having jurisdiction all over the State.

(2) The University shall be a body corporate by the name as specified in sub-section (1) and shall have perpetual succession and common seal. It shall have the power to acquire, hold and dispose of the property both movable and immovable and shall sue and be sued by the said name. The headquarters of the University shall be at Karnal or at such place, as may be notified by the State Government in the Official Gazette, from time to time.

(3) The University shall not except without obtaining the prior approval of the State Government lease, sell or otherwise transfer any immovable property, which may have vested in, or acquired by it.

4. (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other State law for the time being in force, no person or institution, other than the University or College or affiliated college, shall confer, grant or issue or hold himself or itself out as entitled to confer, grant or issue any degree, diploma, certificate or an academic distinction in the specialized area of knowledge assigned to it within territorial jurisdiction of the University which is identical or is a colourable imitation of any degree, diploma, certificate or an academic distinction conferred, granted or issued by the University.

Bar on conferring, granting or issuing degree, diploma, certificate or an academic distinction.

(2) The contravention of the provisions of sub-section (1) shall be an offence punishable with imprisonment up to three years or with fine up to five thousand rupees or with both and shall also be dealt with, in such manner, as may be prescribed.

(3) Where an offence under this section has been committed by an institution, every person incharge of, or responsible for the conduct of its business at the time of the commission of the offence, shall be liable to be proceeded against in accordance with Sub-section (2).

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this section has been committed by a company, firm or an association of persons and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any partner, director, manager, secretary or other officer of the company, firm or an association of persons, such partner, director, manager, secretary or other officer shall be liable to be proceeded against in such manner, as may be prescribed.

5. All teaching in the University shall be conducted by and in the name of the University in accordance with the Statutes and Regulations made in this behalf.

Teaching in University.

6. The University shall have the following objects, namely:-

Objects of University.

- (a) to impart education in different branches of Horticulture and allied sciences as it may determine, from time to time;
- (b) to further advancement in learning and research in Horticulture and allied sciences and to undertake extension of such specialized knowledge to the needy people;
- (c) to undertake study in post-harvest management and marketing strategies of horticulture produce and products;
- (d) to liaison and establish vital linkage with the concerned departments/institution/organization of Horticulture of other State Government and Union Government, National and international research institutes and private sector specialized in the field of Horticulture and allied sciences with a view to keep pace with the latest technology;
- (e) to raise level of education, teaching, research and extension in Horticulture to international standards; and
- (f) such other objects, as the Board may determine, from time to time.

7. The University shall perform the following functions, namely:-

Powers and functions of University

- (a) to provide facilities for teaching, training and research in Horticulture and allied sciences and to achieve excellence therein and connected fields;
- (b) to institute degree, diploma, certificate and other academic distinction in Horticulture and allied sciences;

- (c) to confer honorary degree or other academic distinction in such manner, as may be prescribed;
- (d) to provide for dissemination of the findings of research and technical information through extension education;
- (e) to hold examination and to confer degree, diploma, certificate and other academic distinction on person, who has-
 - (i) pursued a particular course of study; or
 - (ii) carried out research in the University in such manner, as may be prescribed;
- (f) to arrange lectures and teaching for field workers, Horticulture farmers and other persons, not enrolled as students of the University and to create general awareness amongst farmers and other stake holders;
- (g) to co-operate with other universities, institutions, organizations and authorities, in such manner and for such purposes, as may be determined by the Board;
- (h) to establish and maintain college and institution relating to Horticulture and allied sciences;
- (i) to affiliate college or institution to the University and to withdraw affiliation therefrom;
- (j) to establish and maintain laboratories, libraries, research stations, processing plants and museums for teaching, research and extension education;
- (k) to institute, suspend or abolish post of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Teacher and other teaching, research and extension posts in the University and to make suitable appointments thereto;
- (l) to create, suspend or abolish administrative and other posts and to appoint persons to such posts;
- (m) to institute, abolish or suspend fellowships, scholarships, studentships and post doctorate and research fellowship, exhibitions, medals and prizes in accordance with the Statutes and Regulations and to undertake publication of work of merit and research pertaining to research in Horticulture and allied sciences;
- (n) to establish and maintain hostels in the University;
- (o) to establish and maintain residential accommodation for the employees of the University;
- (p) to determine, demand and receive fees and such other charges, as may be prescribed;
- (q) to supervise, control and regulate the conduct and discipline of the students;
- (r) to manage and control the movable and immovable properties of the University;
- (s) to receive gifts, donations or benefactions in cash or kind from the Central/State Government or institution or a person and to create corpus fund for the welfare of the University:

Provided that no donation from a foreign country, foreign foundation or any individual or an institution in such country or foundation shall be accepted by the University, save with the approval of the State or other competent authority;
- (t) to accept grant from any institution or any other authority recognized by the Government of India and the State Government;
- (u) to borrow money with or without security for the purposes approved by the State Government, from the Central Government, any other State Government, Indian Council of Agricultural Research or any other incorporated body, subject to the provisions of this Act;
- (v) to maintain personality development, counselling training and placement and employment bureau;
- (w) to do all such other acts and things, whether incidental to the functions aforesaid or not, as may be required in order to further the objects of the University.

8. (1) On the commencement of this Act, all colleges and other educational institutions of Horticulture and allied sciences in the State admitted to the privileges of or affiliated to the existing university, shall be deemed to be admitted to the privileges of, or affiliated to the University. Affiliation.

(2) The colleges and institutions related to various disciplines of Horticulture and allied sciences located within the State including those to be established after the commencement of this Act, on satisfying such conditions, as laid down by the Statutes and Regulations for the purposes of affiliation, shall be affiliated to the University.

CHAPTER-III

MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY

9. The following shall be the authorities of the University, namely:-

Authorities of University.

- (i) Board;
- (ii) Academic Council;
- (iii) Board of Studies; and
- (iv) such other authority, as may be declared by the Statutes to be an authority of the University.

10. (1) The State Government shall, as soon as possible, after the commencement of this Act, constitute a Board for the management of the University. Board.

(2) The Board of the University shall consist of the following official and non-official members,-

Official members

- (a) Vice-Chancellor;
- (b) Administrative Secretaries of the State Government in the Department of-
 - (i) Horticulture; and
 - (ii) Finance;
- (c) Director /Director General, Horticulture;
- (d) Deputy Director General (Horticulture) from Indian Council of Agricultural Research;

Non-official members

Persons not being officials, appointed by the State Government from amongst the following categories of persons, namely:-

- (i) a person from amongst the members of the Haryana State Legislative Assembly to be nominated by the Speaker;
- (ii) a person who in the opinion of the State Government is an eminent Scientist in horticultural sciences with the background of research or extension education or development or administration;
- (iii) two persons who in the opinion of the State Government are progressive Horticulture farmers, having experience of and interest in Horticulture farming and its improvement;
- (iv) a person who in the opinion of the State Government is a distinguished industrialist and businessman associated with Horticulture;
- (v) a woman who in the opinion of the State Government has an outstanding background of rural advancement and Horticulture.

(3) The Chancellor shall be the Honorary Chairman, the Vice-Chancellor shall be the Chairman and the Registrar shall be the Secretary of the Board.

(4) The term of office of the non-official members of the Board shall be two years.

(5) A non-official member of the Board may resign from his office by giving a notice in writing, addressed to the Chairman.

(6) The non-official members of the Board shall not be entitled to receive any remuneration for the performance of their functions under this Act, except such daily and travelling allowances, as may be prescribed.

Technical Advisers
to Board.

11. The Board may associate in its meetings all or any of the following persons as Technical Advisers, but the person so associated shall not be entitled to vote at any such meeting,-

- (a) Director Agriculture, Haryana;
- (b) two officers invited by the Board from amongst Deans or Directors of the University;
- (c) Dean or Director of Agriculture Engineering College of existing University, Hisar;
- (d) any other expert to be invited by the Board specialized in horticultural sciences and allied sciences.

Meeting of Board.

12. (1) The Board shall meet at such time and place, as it may deem necessary: Provided that regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months.

(2) Four members of the Board shall form a quorum of which two shall be official members for the meeting of the Board:

Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary in the next meeting for the transaction of the same business.

Powers and duties
of Board.

13. The Board shall have the following powers and duties, namely:-

- (a) to appoint the Vice-Chancellor;
- (b) to approve the budget submitted by the Vice-Chancellor;
- (c) to hold and control the property and funds of the University and issue any general directive on behalf of the University;
- (d) to accept or transfer any property on behalf of the University;
- (e) to administer the funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
- (f) to invest money belonging to the University;
- (g) to appoint the officers, teachers and other employees of the University in such manner, as may be prescribed;
- (h) to specify the form of common seal of the University;
- (i) to constitute such committees, as it may deem necessary for its proper functioning;
- (j) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;
- (k) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act, Statutes and Regulations and to exercise such powers and to discharge such duties, as may be conferred on or imposed upon the Board by this Act, Statutes and Regulations.

Constitution of
Academic Council.

14. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

- (a) Vice-Chancellor;
- (b) Registrar as Member Secretary;
- (c) Dean of Post-Graduate Studies;
- (d) Dean of the College;
- (e) Director of Extension Education;
- (f) Director of Research;
- (g) Heads of Regional Research Stations of the University;
- (h) Two senior-most Head of the Departments of the University to be nominated by their respective Deans; and
- (i) One senior Professor from amongst all Professors.

(2) The term of office of the members shall be two years.

15. (1) The Academic Council shall be incharge of the academic affairs of the University and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes and Regulations, superintend direct and control and shall be responsible for the maintenance of standards of teaching, education, examination and other matters connected with the obtaining of degree, diploma, certificate and academic distinction and shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed.

Powers of
Academic
Council.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Academic Council shall have the following powers,-

- (a) to advise the Vice-Chancellor on all academic matters including management of the library;
- (b) to co-opt at its meetings such Heads of the Departments, as it may consider necessary;
- (c) to make recommendations to the Vice-Chancellor for the institution of the Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships with regard to the duties and emoluments thereof;
- (d) to formulate, modify or revise schemes for the constitution or reconstitution of Departments of teaching, research and extension;
- (e) to make Regulations regarding the admission of students of the University;
- (f) to make Regulations regarding the examinations to be conducted by the University and the conditions on which students shall be admitted to such examinations;
- (g) to make Regulations relating to the courses of study leading to degree, diploma, certificate and academic distinction;
- (h) to make recommendations regarding teaching, research and extension;
- (i) to make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for appointment of teachers in the University and affiliated colleges; and
- (j) to exercise such other powers and perform such other duties, as may be prescribed.

16. (1) All casual vacancies of non-official members in any authority of the University shall be filled up, as soon as possible, from amongst the same category of persons, whose place becomes vacant and the person so appointed or nominated to such casual vacancy shall be a member of such authority for the remaining period of the term, for which the person, whose place he fills, would have continued as such.

Vacancy in an
authority of
University.

(2) A person, who is member of any authority of the University as representative of another body, whether of the University or not shall retain his seat in that authority so long as he continues to be a member of the body, by which he was appointed or nominated and hereafter, till his successor is duly appointed or elected.

(3) No act or proceeding of any authority of the University shall be held invalid by reason merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of such authority.

(4) If any question arises where any person has been duly appointed as, or is entitled to be, a member of any authority of the University or whether any decision of the University is in accordance with this Act, Statutes or Regulations, as the case may be, the same shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final.

17. The following shall be the officers of the University, namely:-

- (i) Chancellor;
- (ii) Vice-Chancellor;
- (iii) Registrar;
- (iv) Comptroller;
- (v) Dean, Post-Graduate Studies;

Officers of
University.

- (vi) Dean of the College;
- (vi) Director of Research;
- (viii) Director of Extension Education;
- (ix) Director of Students' Welfare;
- (x) Estate Officer-cum-Head of Engineering wing in the University;
- (xi) such other person in the service of the University, as may be so declared by the Statutes or Regulations.

Chancellor.

18. (1) The Governor of the State of Haryana by virtue of his office, shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall be the Head of the University and if present, shall preside over the convocation of the University for conferring degrees.

(3) The Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties, as may be conferred upon him under this Act, Statutes and Regulations.

Inspections.

19. (1) The Chancellor may cause an inspection to be made by such person, as he may direct, of the University, its buildings, laboratories, equipments and any institution maintained by the University and may cause an inquiry in respect of any matter connected with the administration and the finances of the University.

(2) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and on receipt of such notice, the University shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present, and be heard, at such inspection or inquiry.

(3) The Chancellor may address the Board with reference to the result of such inspection or inquiry, as the case may be, with such advice, as he may deem appropriate.

(4) The Board shall intimate to the Chancellor about the action, it proposes to take on the advice communicated to it, under sub-section (3).

(5) If the Board does not take action within a reasonable time, the Chancellor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions, as he may deem fit, and the Board shall comply with such directions.

Vice-Chancellor.

20. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Board from amongst the distinguished scientists/academicians/extension officers from horticultural sciences in such manner, as may be prescribed:

Provided that where the members of the Board are not unanimous with regard to the selection of the person, proposed to be appointed as the Vice-Chancellor, the appointment shall be made by the Chancellor on the advice of the Government from amongst the distinguished horticulturists:

Provided further that the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department, Haryana shall be the first Vice-Chancellor of the University.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in the event of the Vice-Chancellor, being not in a position to discharge his functions on account of illness, absence or leave or any other contingency, the Chancellor may appoint any senior most eligible scientist, academician or extension officer from Department of Horticulture on the recommendation of the Board to act as Vice-Chancellor for the disposal of the business during this period.

(3) The term of office of the Vice-Chancellor shall be four years and he shall be eligible for re-appointment subject to the maximum age of 68 years.

(4) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such, as may be prescribed and the same shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

(5) The Vice-Chancellor may, relinquish office by resignation in writing, addressed to the Board and deliver it to the Secretary of the Board at least two months prior to the date, on which he wishes to be relieved.

(6) When a vacancy occurs or is likely to occur in the office of the Vice-Chancellor on account of resignation or expiry of the term of office, the Registrar shall report the fact forthwith to the Board and such vacancy shall be filled in accordance with the provision of sub-section (1).

- 21.** (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and the Chairman of the Academic Council. Powers and duties of Vice-Chancellor.
- (2) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline at the University.
- (3) The Vice-Chancellor shall convene meeting of the Academic Council.
- (4) Without prejudice to the powers conferred by this Act on the State Government, the Vice-Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act, Statutes and Regulations and shall also exercise all such powers, as may be necessary in this behalf.
- (5) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the budget and the statement of accounts to the Board.
- (6) In any emergency, which, in the opinion of the Vice-Chancellor, requires immediate action to be taken, he shall take such action, as he deems necessary except dismissal, removal and reduction in rank of the persons appointed by the Board and shall, at the earliest possible, report about the action taken to the concerned authority for confirmation, who or which in the ordinary course, would have dealt with the matter, but nothing in this sub-section shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure, not duly authorized and provided for, in the budget:
- Provided that no action shall be taken to his disadvantage unless such a person has been given opportunity of being heard.
- (7) The person aggrieved by an action, referred to in sub-section (6) may prefer an appeal to the Board within a period of thirty days from the date, on which the action against him is communicated to him.
- (8) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension or dismissal etc. of officers, teachers and other employees of the University.
- (9) The Vice-Chancellor shall be responsible for the co-ordination and integration of teaching, research and extension education.
- (10) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers, as may be prescribed.

- 22.** (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board on the recommendation of State Government from amongst the persons, having the following qualifications and experience: Registrar.
- (i) at least fifteen years experience as Assistant Professor or eight years experience as Associate Professor in recognized university or college alongwith experience in educational administration; or
- (ii) equivalent experience in research establishment or other institutions of higher education; or
- (iii) fifteen years of administrative experience of which at least eight years as Deputy Registrar or on an equivalent post.
- (2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University and work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.
- (3) The Registrar shall receive such remuneration and other emoluments, as may be prescribed.

23. The Registrar shall,-

- (a) be the ex-officio Secretary of the Board and Member Secretary of Academic Council and shall place all such information before the Board and Academic Council, as may be necessary for the transaction of business of the Board and Academic Council, as the case may be;
- (b) be responsible for the custody of the records and the common seal of the University;
- (c) receive applications for admission to the University;

Powers and duties of Registrar.

- (d) make arrangement for admission of Non-Resident Indian students, Non-Resident Indian sponsored students, foreign students, industry sponsored students;
- (e) keep permanent record of all syllabi, curriculum and information connected therewith;
- (f) make arrangement for the conduct of such examination, as may be prescribed and be responsible for the due execution of all processes connected therewith; and
- (g) perform such other duties, as may be prescribed from time to time, by the Vice-Chancellor.

Comptroller.

24. (1) The Comptroller shall be a whole-time officer of the University and shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.

(2) The Comptroller shall manage the property and investments of the University and advise with regard to its financial policy.

(3) The Comptroller shall be responsible to the Vice-Chancellor for all the financial matters of the University including the preparation of its budget and statement of accounts.

(4) The Comptroller shall receive such remuneration, as may be prescribed.

(5) The Comptroller shall,-

- (a) ensure that the expenditure not authorized in the budget is not incurred by the University, except by way of investment approved by the Board;
- (b) disallow any expenditure, not warranted by the terms of any Statutes or for which provision is required to be made by the Statutes but has not yet been made; and
- (c) ensure that all money belonging to the University, be kept in a Scheduled Bank.

Dean of Post Graduate Studies.

25. (1) The Dean of Post Graduate Studies shall be a whole time officer and shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.

(2) The Dean of Post Graduate Studies shall be responsible to the Vice-Chancellor for all matters concerning the Post Graduate Studies.

(3) The Dean of Post Graduate Studies shall be responsible for organization, origination and conduct of postgraduate instruction.

(4) The Dean of Post Graduate Studies shall act as liaison officer with national and international organizations, agencies or individuals for education, research and employment.

Dean of college.

26. (1) The Dean of college shall be a whole time officer and shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.

(2) The Dean of college shall be responsible to the Vice-Chancellor for all matters concerning the College.

(3) The Dean of college shall be responsible for the organization, origination and conduct of the College instruction.

(4) The Dean of college shall act as liaison officer with national and international organizations, agencies or individuals for education, research and employment.

Director of Research.

27. (1) There shall be a Director of Research in the University to be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.

(2) The Director of Research shall be a whole time officer trained in Horticulture or allied sciences and shall initiate, guide and co-ordinate research programmes of the University and its institution and shall be responsible to the Vice-Chancellor.

Director of Extension Education.

28. (1) There shall be a Director of Extension Education who shall be a whole time officer technically trained in Horticulture or allied sciences and shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.

(2) The Director of Extension Education shall be responsible to the Vice-Chancellor and shall prepare programmes for assisting farmers and entrepreneurs interested in horticulture in applying results of scientific investigations for the solution of their problems.

29. (1) The Director of Extension Education shall be responsible for,-

Functions of
Director of
Extension
Education.

- (a) the Horticulture and allied sciences which are primarily educational in nature;
- (b) imparting training to the Extension Officers;
- (c) such other duties, as may be prescribed.

(2) The Director of Extension Education shall perform his functions in co-ordination with the Department of Horticulture or any other department, as the case may be.

30. (1) The Director of the Students' Welfare shall be a whole time officer of the University and shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.

Director of
Students'
Welfare.

(2) The Director of the Students' Welfare shall perform the following duties, namely:-

- (a) to make arrangements for housing of the students;
- (b) to make programmes of students' counselling;
- (c) to arrange employment of the students in accordance with the plans approved by the Vice-Chancellor;
- (d) to supervise the extra-curricular activities of the students;
- (e) to assist placement of the students of the University;
- (f) to organize and maintain contact with the alumni of the University;
and
- (g) to ensure maintenance of discipline by the students.
- (h) such other duties, as may be prescribed.

(3) The Director of the Students' Welfare shall be responsible for the custody, maintenance and management of all the buildings, lawns, gardens, playgrounds and other properties of the University.

31. The Head of Engineering Wing in the University shall be the Estate Officer and shall be whole time officer of the University and shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the Board. The Estate Officer shall be responsible for all the civil work including infrastructure development, landscaping etc.

Estate Officer.

CHAPTER-IV COLLEGES AND INSTITUTIONS

32. (1) Each college shall comprise such Departments, as may be prescribed.

Composition of
college.

(2) There shall be a Head of each Department, who shall be responsible to the concerned Deans for instruction; to the Director of Research for research work; and Director of Extension Education for extension education.

(3) The Head of the Department shall be selected by the Vice-Chancellor and appointed by him with the approval of the Board, in the manner, as may be prescribed.

(4) The duties, powers and functions of the Head of Department shall be such, as may be prescribed.

CHAPTER-V SERVICES

33. The salary and allowance payable to the officers, teachers and other employees of the University shall be such, as may be determined by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.

Salary and
allowances.

Retirement and other conditions of service. **34.** The age of retirement and other conditions of service of every officer, teacher or other employee of the University shall be such, as may be prescribed.

Provident fund. **35.** The University shall constitute gratuity and provident fund for the benefit of its officers, teachers and other employees in such manner, and subject to such conditions, as may be prescribed.

Appointment of technical staff. **36.** Subject to the provisions of this Act, the members of the technical staff of the University shall be selected by the Head of the Department in consultation with the members of the Department concerned and further be recommended by the concerned Dean or the Director of Research or the Director of Extension Education, as the case may be, to the Vice-Chancellor and shall be appointed by him with the approval of the Board.

Temporary arrangements. **37.** The Vice-Chancellor may appoint temporarily any officer of the University subject to the provisions of this Act until such time, the authorities of the University are duly constituted.

CHAPTER-VI

STATUTES AND REGULATIONS

Statutes. **38.** Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for the following matters, namely:-

- (a) constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (b) selection, appointment and continuance in office of members or authorities of the University;
- (c) filling up of vacancies, designation, manner of appointment, powers and duties of officers of the University;
- (d) classification, filling up of vacancies and manner of appointment of teachers;
- (e) constitution of gratuity or provident fund or both for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (f) institution of degree, diploma, certificate and academic distinction;
- (g) conferment of honorary degrees;
- (h) establishment, amalgamation, sub-division and abolition of Departments of the College;
- (i) establishment and abolition of hostels;
- (j) institution of fellowships, scholarships, medals and prizes;
- (k) maintenance of a register of graduates;
- (l) admission of students to the University and their enrolment and continuance as such;
- (m) courses of study to be laid down for degree, diploma certificate or academic distinction of the University;
- (n) conditions under which students shall be admitted to a degree, diploma, certificate or academic distinction and manner in which the examinations are to be held and eligibility for award of degree, diploma, certificate and academic distinction;
- (o) conditions of residence of students of the University and levy of fees for residence in hostels maintained by the University;
- (p) recognition and supervision of hostels not maintained by the University;
- (q) number, qualifications, emoluments and other conditions of service of officers, teachers and other employees of the University and preparation and maintenance of record of their services and activities;
- (r) fees to be charged by the University;
- (s) remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to persons employed in the business of the University;
- (t) conditions for award of fellowships, scholarships, medals, prizes, stipends and fee concessions; and

- (u) all other matters, which under this Act are to be or may be provided for by the Statutes or Regulations.

39. (1) The relevant provisions of the Statutes, made for the existing university and in force immediately before the commencement of this Act, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act and subject to such adaptations and modifications, be the first Statutes of the University.

Statutes how made.

(2) The Board may, from time to time, make new or additional Statutes and may amend or repeal the same.

(3) The Academic Council may propose to the Board, the draft of Statutes and such draft shall be considered by the Board at its next meeting:

Provided that the Academic Council shall not propose the draft of any Statutes or any amendment therein, affecting the status, powers or constitution of any authority of the University, until such authority has been given an opportunity to express its opinion upon the proposal, and any opinion so expressed, shall be considered by the Board.

(4) The Board may consider any such draft, as is referred to in sub-section (3) and pass the proposed Statutes or reject or return it to the Academic Council, for re-consideration, either in whole or in part, together with any amendment, which it may suggest.

(5) Any member of the Board may,-

- (a) propose to the Board, the draft of any Statutes and the Board may, either accept or reject the proposal, if it relates to a matter, not falling within the purview of the Academic Council;
- (b) in case, such a draft relates to a matter, which is within the purview of the Academic Council, the Board shall refer it for consideration to the Academic Council, which may, either report to the Board that it approves or does not approve the proposal, which then, shall be deemed to have been rejected by the Board or submit the draft to the Board in such form, as the Academic Council may, approve;
- (c) the provisions of clause (b) shall apply in the case of the draft submitted by any member of the Board under clause (a) to the Board, as they apply in the case of a draft, presented to the Board by the Academic Council.

40. (1) The Regulations made for the existing university and in force immediately before the commencement of this Act, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act and subject to such adaptations and modifications, be the first relevant Regulations of the University.

Regulations.

(2) The authorities of University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes for:-

- (a) suitable recruitment procedure both for teaching and non-teaching posts;
- (b) conduct of employees and disciplinary procedure to be followed in case of misconduct and other lapses in the discharge of their duties;
- (c) giving of notice to the members of each authority of the dates of meetings and also for keeping the record of the proceedings of the meetings;
- (d) the procedure to be followed at the meetings;
- (e) all matters concerning and provided for under this Act and the Statutes.

(3) Every Regulation made under this section, shall come into force on such date, as may be specified by the Board.

41. (1) The University shall carry out such directions as may be issued to it, from time to time, by the State Government for the efficient administration of this Act.

Control by State Government.

(2) The State Government may, at any time, either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the record of any case disposed of, or order passed by the University for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety or correctness of any order passed or directions issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto, as it may think fit:

Provided that the State Government shall not pass any order adversely affecting any person without affording such person an opportunity of being heard.

(3) The State Government may depute any officer to inspect or examine the University or its development work and to report thereon and the officer so deputed may, for the purposes of such inspection or examination, call for-

- (a) any extract from any proceeding, record, correspondence, plan or other documents of the authority or any committee constituted under this Act;
- (b) any return, estimates, statement of accounts, statistics;
- (c) any report, and the University shall furnish the same.

Protection of action taken in good faith.

42. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or employee for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, Statutes and Regulations.

Transitory powers of first Vice-Chancellor.

43. (1) It shall be duty of the first Vice-Chancellor to make arrangement for constituting the Board and other authorities of the University within a period of six months from the date of commencement of this Act or such longer period not exceeding one year, as the State Government may, by notification direct.

(2) The First Vice-Chancellor shall, in consultation with the Chancellor, make such Regulations, as may be necessary for functioning of the University.

(3) It shall be duty of first Vice-Chancellor to draft such Statutes, as may be immediately necessary and submit the same to the Board for approval.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act and until such time an authority is duly constituted under this Act, the first Vice-Chancellor may appoint any officer or constitute any committee temporarily to exercise and perform any of the powers and duties of such committee under this Act.

Officers to be public servant.

44. The officers and officials appointed under this Act while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of the Act, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860).

Annual report.

45. The annual report of the University giving details of broad programmes, policies and finances, amendments of Statutes made during the year shall be prepared under directions of the Vice-Chancellor and be submitted to the Board on or after such date, as may be prescribed by the Statutes and the Board shall consider the report at its meeting.

CHAPTER- VII

FINANCE, ACCOUNT AND AUDIT

General fund.

46. The University shall have a general fund and the following shall be credited to it, namely:-

- (a) income from fees, endowments, grants and properties of the University;
- (b) contributions or grants from the State Government and the Central Government on such conditions, as may be imposed by that Government; and
- (c) other contributions, grants, donations and benefactions.

Other funds.

47. The University may have such other funds, as may be prescribed.

Constitution of Finance Committee.

48. The University shall constitute a Finance Committee consisting of the following members, namely:-

- (a) Vice-Chancellor
- (b) Comptroller;
- (c) a member chosen by the Board from amongst its official members; and
- (d) a member chosen by the Board from amongst its non-official members.

- 49.** (1) The Finance Committee shall have the following powers and duties, namely:- Powers and duties of Finance Committee.
- (a) to examine the annual accounts of the University and to advise the Board thereon;
 - (b) to examine the annual budget estimates and to advise the Board thereon;
 - (c) to review the financial position of the University from time to time;
 - (d) to make recommendation to the University on all matters relating to the finances of the University; and
 - (e) to make recommendation to the Board on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the budget or which involves expenditure in excess of the amount provided in the budget.

(2) The accounts and the balance sheet shall be submitted by the Vice-Chancellor through the Board to the State Government, which shall cause them to be audited by the Examiner, Local Fund Accounts.

(3) The accounts, when audited, shall be printed and copies thereof together with audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board, which shall forward them to the State Government with such comments, as it may deem fit.

- 50.** The State Government shall have the power to order special audit of the accounts of the University by such auditor or agency, as it may direct. Powers of State Government to direct audit.

CHAPTER-VIII MISCELLANEOUS

51. If on the commencement of this Act, any suit, appeal or other proceeding of whatever nature, is pending by or against the existing university, the same shall not abate or be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the re-organization of the existing university, but such suit, appeal or other proceedings, may be continued, prosecuted or enforced by or against the concerned university to which the subject matter of such suit, appeal or other proceedings pertain after the re-organization. Legal Proceedings.

52. In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar, and all process in such suits and proceedings shall be issued to, and be served on him. Authentication of pleadings.

53. If the existing university prior to the establishment of this University, has conducted any examination, but the result thereof has not yet been declared, in such cases, the existing university shall declare the result and confer the degree, diploma, certificate and mark sheets, as the case may be. Obligation to be discharged by existing university.

54. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty: Provided that no order shall be made under this section, after the expiry of a period of three years from the date of commencement of this Act. Power to remove difficulties.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Union Government in its budget 2014-15 has declared setting up of State Horticulture University for the State of Haryana and made a provision of Rs. 50 Crore in the Union Budget for setting up of Horticulture University in the State. At present there is no University of Horticultural Sciences in the State. The proposed bill is to establish a Haryana State University of Horticultural Sciences at Karnal.

VIKRAM SINGH YADAV,
Minister of State, Agriculture, Haryana.

Chandigarh:
The 27th November, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2015 का विधेयक संख्या 18 एच.एल.ए.

हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल विधेयक, 2015

उद्यान विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान की आधुनिक

प्रणालियों में संबद्ध, अध्यापन और उचित तथा व्यवस्थित शिक्षा,

प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार सुनिश्चित करने के

प्रयोजनों के लिए तथा उससे संबंधित या उससे

आनुषंगिक मामलों हेतु राज्य में

विश्वविद्यालय स्थापित तथा

निगमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय—I**प्रारम्भिक**

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल अधिनियम, 2015, संक्षिप्त नाम तथा कहा जा सकता है। प्रारम्भ।
- (2) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
2. इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से परिभाषाएं। अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "शिक्षा परिषद्" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद् ;
 - (ख) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त कोई महाविद्यालय या संस्था ;
 - (ग) "बोर्ड" से अभिप्राय है, धारा 10 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्रबन्धन के लिए बोर्ड ;
 - (घ) "महाविद्यालय" से अभिप्राय है, उद्यान महाविद्यालय, करनाल या कोई ऐसा महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित हो ;
 - (ङ) "विभाग" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय का विभाग ;
 - (च) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, अध्यापक तथा अन्य अमले सहित विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ;
 - (छ) "विद्यमान विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ;
 - (ज) "विस्तार शिक्षा" से अभिप्राय है, उद्यान विशेषज्ञ, पैरा—उद्यान अमला, उद्यान किसान, गृह निर्माता तथा उद्यान कल्याण, उन्नत उद्यान व्यवसाय से सम्बद्ध अन्य समूह तथा उद्यान उत्पादन और विपणन से सम्बन्धित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों के प्रशिक्षण से सम्बद्ध शैक्षिक गतिविधियां तथा इसमें उद्यान विभाग, वनस्पति विभाग या कोई अन्य पदाभिहित विभाग या अभिकरण के माध्यम से उद्यान फार्म तथा फार्म—गृहों के लिए नई प्रौद्योगिकी तथा नवीनता को लाने के लिए प्रदर्शन भी शामिल है ;
 - (झ) "छात्रावास" से अभिप्राय है, छात्रों के लिए निवास यूनिट ;
 - (ञ) "उद्यान" से अभिप्राय है, फलों, सब्जियों, पुष्पोत्पादन, फसलों, मसालों, औषधियों का रोपण तथा सुगन्धित वनस्पतियों की मूल तथा सहबद्ध विज्ञान तथा इसमें खुमी पैदा करना, भू—दृश्य—निर्माण, मधुमक्खी—पालन तथा उद्यान उत्पाद का उत्पादन, विपणन तथा प्रसंस्करण भी शामिल है ;
 - (ट) "संस्था" से अभिप्राय है, उपाधि, उपाधि—पत्र, प्रमाण—पत्र या अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए प्रशिक्षण देने वाला कोई केन्द्र या अन्य संस्था ;
 - (ठ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों तथा

- विनियमों द्वारा विहित ;
- (ड) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
- (ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार ;
- (ण) "परिनियमों तथा "विनियमों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम तथा विनियम ;
- (त) "छात्र" से अभिप्राय है, किसी उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या किसी शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था में नामांकित कोई व्यक्ति ;
- (थ) "अध्यापक" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था में पूर्णकालिक आधार पर शिक्षा देने तथा अनुसंधान और विस्तारण करने के लिये नियुक्त किया गया है तथा इसमें निदेशक, डीन, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ आचार्य, आचार्य, सह-आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक भी शामिल है ;
- (द) "अध्यापन" से अभिप्राय है, उद्यान तथा सम्बद्ध विज्ञान से सम्बन्धित शिक्षण देना जिसमें उद्यान अनुसंधान तथा विस्तारण भी शामिल होगा ;
- (ध) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल ;

अध्याय-II

विश्वविद्यालय की स्थापना

विश्वविद्यालय की स्थापना।

3. (1) सम्पूर्ण राज्य में अधिकारिता रखने वाले हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय उप-धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट नाम से निगमित निकाय होगा तथा शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी। उसे चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद करेगा तथा करवाएगा। विश्वविद्यालय का मुख्यालय, करनाल या ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।

(3) विश्वविद्यालय किसी भी अचल सम्पत्ति, जो इसमें निहित हो गई है, या इस द्वारा अर्जित की गई है, को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना पट्टे पर नहीं देगा, न ही बेचेगा या अन्यथा अन्तरण नहीं करेगा।

उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करने, देने या जारी करने पर रोक।

4. (1) इस अधिनियम या तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय से अन्यथा, कोई भी व्यक्ति या संस्था, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर इसे समनुदेशित ज्ञान के विशेष क्षेत्र में स्वयं किसी उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि को प्रदान नहीं करेगी या नहीं देगी या जारी नहीं करेगी या धारण नहीं करेगी या प्रदान करने, देने या जारी करने के लिए स्वयं को हकदार नहीं बनाएगी जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई, दी गई या जारी की गई उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के समरूप है या मिलती जुलती नकल की है।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों की उल्लंघना तीन वर्ष तक के कारावास या पांच हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय अपराध होगा तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में कार्रवाई भी की जाएगी।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया है, तो अपराध करने के समय पर इसका कार्यभारी या कारबार संचालन के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, उप-धारा (2) के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए दायी होगा।

(4) उप-धारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति तथा मौनानुकुलता से किया गया है, या कि अपराध कम्पनी, फर्म या व्यक्तियों के संगम के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी द्वारा किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया है, तो ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिए दायी होगा।

5. विश्वविद्यालय में सभी अध्यापन इस निमित्त बनाए गये परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तथा उसके नाम से संचालित किए जायेंगे । विश्वविद्यालय में अध्यापन ।
6. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :- विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
- (क) उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, जो यह समय-समय पर अवधारित करे, में शिक्षा प्रदान करना ;
- (ख) उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान में शिक्षा-प्राप्ति तथा अनुसंधान में उच्चतर प्रगति करने तथा जरूरतमन्द लोगों के ऐसे विशेष ज्ञान के प्रसार का उत्तरदायित्व लेना;
- (ग) उद्यान उत्पाद तथा उत्पादनों की उपज काटने के बाद प्रबन्धन तथा विपणन योजना में अध्ययन का उत्तरदायित्व लेना ;
- (घ) आधुनिक प्रौद्योगिकी के बराबर चलने के दृष्टिगत अन्य राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के उद्यान से सम्बद्ध विभागों/संस्था/संगठन, उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा प्राइवेट सेक्टर के साथ संपर्क करना तथा सक्रिय संयोजन स्थापित करना ;
- (ङ) अन्तरराष्ट्रीय मानकों हेतु उद्यान में शिक्षण, अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तारण के स्तर को उन्नत करना ; तथा
- (च) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे ।
7. विश्वविद्यालय निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :- विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य ।
- (क) उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान में अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा उसमें तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ;
- (ख) उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान में उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रारम्भ करना ;
- (ग) ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में मानद उपाधि तथा अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करना ;
- (घ) विस्तार शिक्षा के माध्यम से अनुसंधान तथा तकनीकी सूचना की प्राप्ति के प्रसार हेतु प्रबन्ध करना ;
- (ङ) परीक्षा आयोजित करना तथा व्यक्ति को उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करना, जिसने -
- (i) विशिष्ट पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है ;
- (ii) ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में विश्वविद्यालय में अनुसंधान किया है ;
- (च) क्षेत्र कर्मकारों, उद्यान किसानों तथा अन्य व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय में छात्रों के रूप में नामांकित नहीं हैं, के लिए व्याख्यानों तथा अध्यापन का प्रबन्ध करना तथा किसानों और अन्य पणधारियों में सामान्य जागरूकता सृजित करना ;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, संगठनों तथा प्राधिकरणों से, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों हेतु, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, सहयोग करना ;
- (ज) उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान से सम्बन्धित महाविद्यालय तथा संस्था को स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण करना ;
- (झ) विश्वविद्यालय से महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्ध करना तथा उससे सम्बद्धता वापस लेना;
- (ञ) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अनुसंधान केन्द्रों, प्रसंस्करण संयंत्रों तथा संग्रहालयों को स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण करना ;
- (ट) विश्वविद्यालय में आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, अध्यापक तथा अन्य अध्यापन पद, अनुसंधान तथा विस्तार पदों को संस्थित करना, निलम्बित करना या समाप्त करना तथा उन पर उपयुक्त नियुक्तियां करना ;
- (ठ) प्रशासकीय तथा अन्य पदों को सृजित करना, निलम्बित करना या समाप्त करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्तियां करना ;

- (ड) परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन-वृत्तियां तथा पश्च-डाक्टर उपाधि तथा अनुसंधान अध्येतावृत्ति, छात्र-सहायता वृत्ति, पदक तथा पुरस्कार संस्थित करना, समाप्त करना या निलम्बित करना और उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान में अनुसंधान से सम्बन्धित गुणागुण तथा अनुसंधान के कार्यों के प्रकाशन का उत्तरदायित्व लेना ;
- (ढ) विश्वविद्यालय में छात्रावासों की स्थापना करना और उनका अनुरक्षण करना ;
- (ण) विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास स्थापित करना और उनका अनुरक्षण करना ;
- (त) फीसें तथा ऐसे अन्य प्रभार, जो विहित किए जाएं, अवधारित करना, मांग करना और प्राप्त करना ;
- (थ) छात्रों के आचरण का पर्यवेक्षण करना, नियन्त्रण रखना तथा अनुशासन विनियमित करना ;
- (द) विश्वविद्यालय की चल तथा अचल सम्पत्तियों का प्रबन्धन करना और नियन्त्रण रखना ;
- (ध) केन्द्रीय/राज्य सरकार या संस्था या किसी व्यक्ति से उपहार, चन्दा या दान, नकदी या किसी रूप में प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के कल्याण हेतु कायिक निधि सृजित करना :
- परन्तु राज्य या अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना विश्वविद्यालय द्वारा विदेश, ऐसे देश में विदेशी न्यास या किसी व्यक्ति या संस्था से कोई चन्दा स्वीकार नहीं किया जाएगा ;
- (न) भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या किसी अन्य प्राधिकरण से अनुदान स्वीकार करना ;
- (प) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोजनों हेतु प्रतिभूति सहित या के बिना केन्द्रीय सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या किसी अन्य निगमित निकाय से धन उधार लेना ;
- (फ) व्यक्तित्व विकास, परामर्श प्रशिक्षण और नियोजन तथा रोजगार ब्यूरो बनाए रखना;
- (ब) सभी ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, चाहे उपरोक्त कृत्यों से आनुषंगिक हैं या नहीं जो विश्वविद्यालय के आगामी उद्देश्यों के लिए आवश्यक हों।

सम्बद्धता।

8. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, विद्यमान विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त या से सम्बद्ध राज्य में उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान के सभी महाविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाएं विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से अनुमति प्राप्त तथा से सम्बद्ध समझी जाएंगी।

(2) राज्य के भीतर अवस्थित उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित महाविद्यालय तथा संस्थाएं तथा इसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद स्थापित किए जाने वाले महाविद्यालय तथा संस्थाएं भी शामिल हैं, ऐसी शर्तों, जो सम्बन्धन के प्रयोजनों के लिए परिनियमों तथा विनियमों द्वारा अधिकथित हैं, को पूरा करने पर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएंगी।

अध्याय-III

विश्वविद्यालय का प्रबन्धन

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

9. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

- बोर्ड ;
- शिक्षा परिषद् ;
- अध्ययन बोर्ड ; तथा
- ऐसा अन्य प्राधिकरण, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए।

बोर्ड।

10. (1) राज्य सरकार, यथाशीघ्र संभव, इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, विश्वविद्यालय के प्रबन्धन के लिए बोर्ड गठित करेगी।

(2) विश्वविद्यालय का बोर्ड निम्नलिखित सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों से मिलकर बनेगा,—

सरकारी सदस्य

- (क) कुलपति;
 (ख) प्रशासकीय विभाग में राज्य सरकार,—
 (i) उद्यान; तथा
 (ii) वित्त विभाग, के प्रशासकीय सचिव ;
 (ग) निदेशक/महानिदेशक, उद्यान ;
 (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से उप-महानिदेशक (उद्यान) ;

गैर-सरकारी सदस्य

निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रवर्गों में से सरकारी व्यक्ति न होते हुए, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, अर्थात् :-

- (i) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला हरियाणा राज्य विधान सभा के सदस्यों में से कोई व्यक्ति ;
 (ii) कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में अनुसंधान या विस्तार शिक्षा या विकास या प्रशासनिक पृष्ठभूमि सहित उद्यान विज्ञान में विख्यात वैज्ञानिक;
 (iii) दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में प्रगतिशील उद्यान किसान हैं, उद्यान कृषि तथा उसके सुधार में अनुभव तथा रूचि रखते हैं ;
 (iv) कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार की राय में उद्यान से सहयुक्त प्रख्यात उद्योगपति तथा व्यवसायी है ;
 (v) कोई महिला, जो राज्य सरकार की राय में ग्रामीण प्रगति तथा उद्यान की उत्कृष्ट पृष्ठभूमि रखती हो।

(3) कुलाधिपति बोर्ड का मानद अध्यक्ष होगा, कुलपति अध्यक्ष होगा तथा कुलसचिव सचिव होगा।

(4) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(5) बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(6) बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य, ऐसे दैनिक तथा यात्रा भत्तों, जो विहित किए जाएं, के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

11. बोर्ड अपनी बैठकों में निम्नलिखित व्यक्तियों में से सभी या किसी को तकनीकी सलाहकार के रूप में सहयुक्त कर सकता है, किन्तु इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति किसी ऐसी बैठक में मत देने का हकदार नहीं होगा,—

बोर्ड के तकनीकी सलाहकार।

- (क) निदेशक कृषि, हरियाणा ;
 (ख) विश्वविद्यालय के डीनों या निदेशकों में से बोर्ड द्वारा आमंत्रित दो अधिकारी ;
 (ग) विद्यमान विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि इंजीनियरिंग महाविद्यालय का डीन या निदेशक ;
 (घ) बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने वाला कोई अन्य विशेषज्ञ जो उद्यान विज्ञान तथा सहबद्ध विज्ञान में विशेषज्ञता रखता हो।

12. (1) बोर्ड ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा यह आवश्यक समझे, बैठक करेगा :
 परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

बोर्ड की बैठक।

(2) बोर्ड की बैठक के लिए बोर्ड के चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें दो सरकारी सदस्य होंगे :

परन्तु यदि बोर्ड की कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है, तो उसी कार्य संव्यवहार हेतु आगामी बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

बोर्ड की शक्तियां
तथा कर्तव्य।

13. बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-
- (क) कुलपति की नियुक्ति करना ;
 - (ख) कुलपति द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करना ;
 - (ग) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को बनाए रखना तथा नियन्त्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई सामान्य निदेश जारी करना ;
 - (घ) विश्वविद्यालय की ओर से कोई सम्पत्ति स्वीकार करना या उसका अन्तरण करना ;
 - (ङ) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन हेतु रखी गई निधियों की व्यवस्था करना ;
 - (च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित धन का निवेश करना ;
 - (छ) ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;
 - (ज) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा की आकृति विनिर्दिष्ट करना ;
 - (झ) ऐसी समितियों का गठन करना, जो इसके उचित कृत्यों के लिए आवश्यक समझी जाएं ;
 - (ञ) पूंजीगत उन्नयनों के लिए धन उधार लेना तथा इसके पुनः भुगतान हेतु उपयुक्त प्रबन्ध करना ;
 - (ट) इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी मामले विनियमित तथा अवधारित करना तथा इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों द्वारा बोर्ड को यथा प्रदत्त या अधिरोपित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना।

शिक्षा परिषद् का
गठन।

14. (1) शिक्षा परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :-
- (क) कुलपति ;
 - (ख) सदस्य-सचिव के रूप में कुलसचिव ;
 - (ग) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन ;
 - (घ) महाविद्यालय का डीन ;
 - (ङ) निदेशक, विस्तार शिक्षा ;
 - (च) निदेशक, अनुसंधान ;
 - (छ) महाविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र का अध्यक्ष ;
 - (ज) महाविद्यालय के दो वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष जो उनके सम्बन्धित डीनों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ; तथा
 - (झ) सभी आचार्यों में से एक वरिष्ठ आचार्य।
- (2) सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

शिक्षा परिषद् की
शक्तियां।

15. (1) शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी मामलों की प्रभारी होगी तथा इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन, अधीक्षण, निदेश तथा नियन्त्रण करेगी तथा अध्यापन, शिक्षा, परीक्षा तथा उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्राप्त करने से संबंधित अन्य मामलों के मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो विहित किए जाएं।

(2) सामान्यतः पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शिक्षा परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—

- (क) पुस्तकालय के प्रबन्धन सहित सभी शिक्षा मामलों पर कुलपति को सलाह देना;
- (ख) इसकी बैठकों में ऐसे विभागाध्यक्षों को सहयोजित करना, जैसा यह आवश्यक समझे ;
- (ग) आचार्यपद, सह-आचार्यपद, सहायक आचार्यपद, संस्थित करने तथा उनके कर्तव्यों तथा परिलाभों के संबंध में कुलपति को सिफारिशें करना ;
- (घ) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार विभागों के गठन या पुनर्गठन के लिए स्कीमें बनाना, उपांतरित करना अथवा पुनरीक्षित करना ;

- (ड.) विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रवेश के संबंध में विनियम बनाना ;
 (च) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में विनियम बनाना तथा ऐसी शर्तें जिन पर ऐसी परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किए जाएंगे ;
 (छ) उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि को अग्रसर करने हेतु पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम बनाना ;
 (ज) अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार के संबंध में सिफारिश करना ;
 (झ) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियों हेतु विहित की जाने वाली योग्यताओं के संबंध में सिफारिश करना ; तथा
 (ञ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो विहित किए जाएं।

16. (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र संभव, उन्हीं व्यक्तियों के प्रवर्ग से भरी जाएंगी, जिसका स्थान रिक्त होता है तथा ऐसी आकस्मिक रिक्ति पर इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति, उस व्यक्ति के पद की शेष अवधि, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, के लिए ऐसे प्राधिकरण का सदस्य होगा तथा ऐसे रूप में बना रहेगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में रिक्ति।

(2) कोई व्यक्ति, जो भिन्न निकाय चाहे विश्वविद्यालय का है या नहीं, के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है, उस प्राधिकरण में अपना स्थान बनाए रखेगा जब तक वह निकाय का सदस्य बना रहता है, जिसके द्वारा वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था तथा उसके बाद, जब तक उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नियुक्त या निर्वाचित नहीं किया जाता है।

(3) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र किसी रिक्ति के विद्यमान होने या ऐसे प्राधिकरण के गठन में कोई त्रुटि होने के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी।

(4) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या किए जाने का हकदार है या चाहे इस अधिनियम, परिनियमों या विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार विश्वविद्यालय का कोई निर्णय है, तो उसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

- (i) कुलाधिपति ;
- (ii) कुलपति ;
- (iii) कुल सचिव ;
- (iv) नियन्त्रक ;
- (v) स्नातकोत्तर अध्ययनों के डीन ;
- (vi) महाविद्यालय का डीन ;
- (vii) निदेशक, अनुसंधान ;
- (viii) निदेशक, विस्तार शिक्षा ;
- (ix) निदेशक, छात्र कल्याण ;
- (x) विश्वविद्यालय में सम्पदा अधिकारी-एवं-इंजीनियरिंग विंग का अध्यक्ष ;
- (xi) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसा अन्य व्यक्ति जो परिनियमों या विनियमों द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाए।

18. (1) हरियाणा राज्य का राज्यपाल उसके पदाभिधान से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

कुलाधिपति।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रधान होगा तथा यदि उपस्थित है, तो उपाधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के अधीन प्रदान किए जाएं।

निरीक्षण।

19. (1) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा वह निदेश करे, इसके निर्माणों, प्रयोगशालाओं, उपकरणों तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था का किए जाने वाला निरीक्षण करवा सकता है तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा वित्त से सम्बन्धित किसी मामले के संबंध में जांच करवा सकता है।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय को किए जाने वाले निरीक्षण या जांच को करवाने के अपने आशय का नोटिस देगा तथा ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जो ऐसे निरीक्षण या जांच पर उपस्थित होने, तथा सुनवाई का अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, ऐसे निरीक्षण या जांच, जैसी भी स्थिति हो, के परिणाम के संदर्भ में बोर्ड को, ऐसी मन्त्रणा सहित जैसा वह उचित समझे, लिख सकता है।

(4) बोर्ड उप-धारा (3) के अधीन इसे संसूचित मन्त्रणा पर की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को सूचित करेगा।

(5) यदि बोर्ड युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जारी कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे, तथा बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

कुलपति।

20. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड द्वारा, ऐसी रीति जो विहित की जाए, में उद्यान विज्ञान से प्रख्यात वैज्ञानिकों/ परिषत्सदस्यों/ विस्तारण अधिकारियों में से नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु जहां बोर्ड के सदस्य कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति के चयन के संबंध में सर्वसम्मत नहीं हैं, तो नियुक्ति सरकार की मन्त्रणा पर कुलाधिपति द्वारा प्रख्यात उद्यान विशेषज्ञों में से की जाएगी :

परन्तु यह और कि अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, हरियाणा विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति होगा।

(2) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, बीमारी, अनुपस्थिति या अवकाश या किसी अन्य आकस्मिकता के कारण उसके कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, तो कुलाधिपति बोर्ड की सिफारिश पर उद्यान विभाग से किसी वरिष्ठतम पात्र वैज्ञानिक, परिषत्सदस्य या विस्तारण अधिकारी को इस अवधि के दौरान कारबार निपटान के लिए कुलपति के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकता है।

(3) कुलपति की पदावधि चार वर्ष होगी तथा वह अधिकतम 68 वर्ष की आयु के अध्यक्षीन पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(4) कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं तथा उन्हें उसकी नियुक्ति के बाद उसके अहित में बदला नहीं जाएगा।

(5) कुलपति बोर्ड को सम्बोधित करते हुए लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है तथा उसे बोर्ड के सचिव को ऐसी तिथि जिसको वह भारमुक्त होना चाहता है, से कम से कम दो मास पूर्व सौंपेगा।

(6) जब कुलपति का पद उसके त्यागपत्र या उसकी पदावधि की समाप्ति के कारण रिक्त होता है या होने की सम्भावना है, तो कुलसचिव बोर्ड को तथ्य की तुरन्त रिपोर्ट करेगा तथा ऐसी रिक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार भरी जाएगी।

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य।

21. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा परिषद् का अध्यक्ष होगा।

(2) कुलपति को विश्वविद्यालय के मामलों पर नियन्त्रण करने की शक्ति होगी तथा विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति शिक्षा परिषद् की बैठक बुलाएगा।

(4) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के उपबन्धों की अनुपालना निष्ठापूर्वक सुनिश्चित करेगा तथा सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस निमित्त आवश्यक हो।

(5) कुलपति बोर्ड को बजट तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) किसी आपात स्थिति में, जो कुलपति की राय में तुरन्त कार्रवाई की जानी आवश्यक है, तो वह बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पदच्युति, हटाना तथा पदावनयन के सिवाय ऐसी कार्रवाई करेगा जिसे वह आवश्यक समझे तथा वह यथासंभव शीघ्र सम्बद्ध प्राधिकरण को की गई कार्रवाई के बारे में पुष्टि के लिए रिपोर्ट करेगा, जो या जिस सामान्य अनुक्रम में मामलों का निपटान करता रहा हो, किन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात, जो बजट में न तो सम्यक् रूप से प्राधिकृत की गई है तथा न ही उपबन्धित की गई है, उपगत किसी खर्च के लिए कुलपति को सशक्त की गई नहीं समझी जाएगी :

परन्तु उसके अहित में तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(7) उप-धारा (6) में निर्दिष्ट कार्यवाही से व्यथित व्यक्ति तिथि, जिसको उसके विरुद्ध कार्रवाई उसको संसूचित की गई है, से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को अपील कर सकता है।

(8) यथापूर्वोक्त के अध्यक्ष, कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन या पदच्युति इत्यादि के संबंध में बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा का समन्वय तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(10) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं।

22. (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा निम्नलिखित योग्यताएं तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्य सरकार की सिफारिश पर बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा : कुलसचिव।

(i) शिक्षण प्रशासन में अनुभव सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सहायक आचार्य के रूप में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव अथवा सह-आचार्य के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ; अथवा

(ii) अनुसंधान स्थापना या उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में समकक्ष अनुभव; अथवा

(iii) पन्द्रह वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप-कुलसचिव या समकक्ष पद पर कम से कम आठ वर्ष का अनुभव।

(2) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा तथा सीधा कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(3) कुलसचिव ऐसा पारिश्रमिक तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करेगा, जो विहित की जाएं।

23. कुलसचिव,—

(क) बोर्ड का पदेन-सचिव होगा तथा शिक्षा परिषद् का सदस्य-सचिव होगा और बोर्ड तथा शिक्षा परिषद् के समक्ष ऐसी सभी जानकारी रखेगा जो बोर्ड तथा शिक्षा परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, के कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक हो;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;

(ग) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा;

(घ) अनिवासी भारतीय छात्रों, अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रायोजित छात्रों, विदेशी छात्रों, उद्योगों द्वारा प्रायोजित छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था करेगा;

(ङ) सभी पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और इससे संबंधित जानकारी का स्थाई अभिलेख रखेगा;

(च) ऐसी परीक्षा जो विहित की जाए, के संचालन के लिये व्यवस्था करेगा और उससे सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कुलपति द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।

कुलसचिव की शक्तियां तथा कर्तव्य।

24. (1) नियन्त्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। नियन्त्रक।

(2) नियन्त्रक, विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निवेशों का प्रबन्ध करेगा और इसकी वित्तीय नीति के बारे में सलाह देगा।

(3) नियन्त्रक बजट तथा लेखा विवरण की तैयारी सहित विश्वविद्यालय के सभी वित्तीय मामलों के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(4) नियन्त्रक ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो विहित किया जाए।

(5) नियन्त्रक,—

- (क) सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश के सिवाय विश्वविद्यालय द्वारा बजट में अप्राधिकृत खर्च उपगत नहीं किया गया है ;
- (ख) किन्हीं परिनियमों के निबन्धनों द्वारा असमर्थित या जिसके लिए परिनियमों द्वारा उपबंध किये जाने की आवश्यकता हो किन्तु अभी तक न किया गया हो, कोई खर्च अननुज्ञात करेगा ; तथा
- (ग) सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी धन, किसी अनुसूचित बैंक में रखेगा।

स्नातकोत्तर
अध्ययन का डीन।

25. (1) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन से सम्बद्ध सभी मामलों के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था, प्रवर्तन तथा संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) स्नातकोत्तर अध्ययन का डीन, शिक्षा, अनुसंधान तथा नियोजन के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, अभिकरणों या व्यष्टि के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

महाविद्यालय का
डीन।

26. (1) महाविद्यालय का डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) महाविद्यालय का डीन, महाविद्यालय से सम्बद्ध सभी मामलों के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) महाविद्यालय का डीन, महाविद्यालय शिक्षण की व्यवस्था, प्रवर्तन तथा संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(4) महाविद्यालय का डीन, शिक्षा, अनुसंधान तथा नियोजन के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, अभिकरणों या व्यष्टि के साथ संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

निदेशक,
अनुसंधान।

27. (1) बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाला विश्वविद्यालय में निदेशक, अनुसंधान होगा।

(2) निदेशक, अनुसंधान उद्यान या सहबद्ध विज्ञान में प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय तथा इसके संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों का आरम्भ, मार्गदर्शन तथा समन्वय करेगा तथा कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

निदेशक, विस्तार
शिक्षा।

28. (1) निदेशक, विस्तार शिक्षा होगा, जो उद्यान या सहबद्ध विज्ञान में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा तथा उद्यान में हितबद्ध किसानों तथा उद्यमकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक अन्वेषणों के परिणामों को लागू करने में उनको सहायता देने के लिए कार्यक्रमों को तैयार करेगा।

निदेशक, विस्तार
शिक्षा के कृत्य।

29. (1) निदेशक, विस्तार शिक्षा निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा,—

- (क) उद्यान तथा सहबद्ध विज्ञान जो प्राथमिक रूप से शैक्षिक प्रकृति के हैं ;
- (ख) विस्तार अधिकारियों को प्रशिक्षण देने ; तथा
- (ग) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो विहित किए जाएं।

(2) निदेशक, विस्तार शिक्षा उद्यान विभाग अथवा किसी अन्य विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के साथ समन्वयन करने में अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

निदेशक, छात्र
कल्याण।

30. (1) निदेशक, छात्र कल्याण विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) निदेशक, छात्र कल्याण निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

- (क) छात्रों के आवास की व्यवस्था करना ;

- (ख) छात्रों की काउंसिलिंग के कार्यक्रमों को बनाना ;
 (ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के रोजगार की व्यवस्था करना;
 (घ) छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना ;
 (ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों की नियोजन में सहायता करना ;
 (च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करने तथा बनाये रखने;
 (छ) छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने को सुनिश्चित करना ;
 (ज) ऐसे अन्य कर्तव्य, जो विहित किए जाएं।

(3) निदेशक, छात्र कल्याण विश्वविद्यालय के सभी निर्माणों, मैदानों, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा अन्य सम्पत्तियों की अभिरक्षा, रख-रखाव तथा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

31. विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग विंग का अध्यक्ष सम्पदा अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सम्पदा अधिकारी अवसंरचना विकास, भू-दृष्य निर्माण इत्यादि सहित सभी सिविल कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

सम्पदा अधिकारी।

अध्याय-IV

महाविद्यालय तथा संस्थाएं

32. (1) प्रत्येक महाविद्यालय में ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किए जाएं।
 (2) प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष होगा, जो शिक्षण के लिए सम्बद्ध डीन, अनुसंधान कार्य के लिए निदेशक अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा के लिए निदेशक विस्तार शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होगा।
 (3) विभाग के अध्यक्ष का चयन कुलपति द्वारा किया जाएगा तथा यथाविहित रीति में, बोर्ड के अनुमोदन से उस द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
 (4) विभाग के अध्यक्ष के कर्तव्य, शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

महाविद्यालय की संरचना।

अध्याय-V

सेवाएं

33. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे, जो बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा अवधारित किए जाएं।
 34. विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
 35. विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए उपदान तथा भविष्य निधि का गठन ऐसी रीति में, तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन करेगा, जो विहित की जाएं।
 36. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के तकनीकी अमले के सदस्य सम्बद्ध विभाग के सदस्यों के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा चयनित किए जाएंगे तथा आगे सम्बद्ध डीन या निदेशक, अनुसंधान या निदेशक, विस्तार शिक्षा, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा कुलपति को सिफारिश की जाएगी तथा बोर्ड के अनुमोदन से उस द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।
 37. कुलपति ऐसे समय के लिए जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का सम्यक् रूप से गठन नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अस्थायी तौर पर नियुक्त कर सकता है।

वेतन तथा भत्ते।

सेवानिवृत्ति तथा सेवा की अन्य शर्तें।

भविष्य निधि।

तकनीकी अमले की नियुक्ति।

अस्थाई व्यवस्था।

अध्याय-VI

परिनियम और विनियम

38. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, परिनियम निम्नलिखित मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :-

परिनियम।

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन, शक्तियों तथा कर्तव्यों ;
 (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का पद पर चयन, नियुक्ति तथा बने रहने ;
 (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की रिक्तियों को भरने, पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियों तथा कर्तव्यों ;

- (घ) अध्यापकों के वर्गीकरण, रिक्तियों को भरने तथा नियुक्ति की रीति ;
- (ङ.) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए उपदान या भविष्य-निधि या दोनों का गठन करने ;
- (च) उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि संस्थित करने;
- (छ) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने ;
- (ज) महाविद्यालय के विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन तथा समाप्ति ;
- (झ) छात्रावासों की स्थापना तथा समाप्ति ;
- (ञ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कारों को संस्थित करने ;
- (ट) स्नातकों का रजिस्टर रखने ;
- (ठ) विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन तथा ऐसे रूप में जारी रखने ;
- (ड) विश्वविद्यालय के उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;
- (ढ) शर्तें जिनके अधीन छात्रों को उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र या शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि के लिए प्रविष्ट किया जाएगा तथा रीति जिसमें परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं तथा उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा शिक्षा संबंधी विशेष उपाधि प्रदान करने के लिए पात्रता ;
- (ण) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों में निवास के लिए फीस का उद्ग्रहण ;
- (त) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की मान्यता तथा पर्यवेक्षण ;
- (थ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या, योग्यताओं, परिलामों तथा अन्य सेवा शर्तें तथा उनकी सेवाओं तथा गतिविधियों का अभिलेख तैयार करने तथा रख-रखाव करने ;
- (द) विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस ;
- (ध) विश्वविद्यालय के कारबार में नियोजित व्यक्तियों को भुगतान किए जाने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्तों सहित पारिश्रमिक तथा भत्ते ;
- (न) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदकों, पुरस्कारों, वजीफों तथा फीस में रियायत देने के लिए शर्तें ; तथा
- (प) सभी अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों या विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाने हैं या किये जा सकते हैं।

परिनियम कैसे बनाएं जाएंगे।

39. (1) विद्यमान विश्वविद्यालय के लिए बनाए गए तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व लागू परिनियमों के सुसंगत उपबंध जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं तथा ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण के अध्यधीन हैं, विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम होंगे।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है और इनका संशोधन या निरसन कर सकता है।

(3) शिक्षा परिषद्, बोर्ड को परिनियमों का प्रारूप प्रस्तावित कर सकती है तथा ऐसा प्रारूप बोर्ड द्वारा इसकी अगली बैठक में विचारा जायेगा :

परन्तु शिक्षा परिषद् तब तक विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसियत, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले किन्हीं परिनियमों या उसमें किसी संशोधन के प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो तथा इस प्रकार व्यक्त कोई राय बोर्ड द्वारा विचारित की जाएगी।

(4) बोर्ड किसी ऐसे प्रारूप पर विचार कर सकता है जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट किया गया है, तथा प्रस्तावित परिनियमों को पारित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या इसे शिक्षा परिषद् को या तो पूर्णतया या भागतः, किसी संशोधन जो यह प्रस्तावित करे सहित पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है।

(5) बोर्ड का कोई सदस्य,—

(क) बोर्ड को किन्हीं परिनियमों का प्रारूप प्रस्तावित कर सकता है और बोर्ड या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, या अस्वीकार कर सकता है, यदि यह ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जो शिक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आता है ;

- (ख) यदि, ऐसा प्रारूप किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जो शिक्षा परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर आता है, तो बोर्ड इसे शिक्षा परिषद् को विचार हेतु भेज सकता है, जो या तो बोर्ड को रिपोर्ट करेगी कि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है या अनुमोदन नहीं किया है, जो तब, बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया समझा जायेगा या ऐसे रूप में बोर्ड को प्रारूप प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा शिक्षा परिषद् अनुमोदन करे ;
- (ग) खण्ड (ख) के उपबंध बोर्ड को खण्ड (क) के अधीन बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप की दशा में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे शिक्षा परिषद् द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत किए गए प्रारूप की दशा में लागू हों।

40. (1) विद्यमान विश्वविद्यालय के लिए बनाए गए तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व लागू विनियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं तथा ऐसे अनुकूलनों तथा उपांतरणों के अधीन हैं, विश्वविद्यालय के प्रथम सुसंगत विनियम होंगे।

(2) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम तथा परिनियमों से संगत निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकते हैं,—

- (क) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर दोनों पदों के लिए उचित भर्ती प्रक्रिया ;
- (ख) कर्मचारियों का आचरण तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार तथा अन्य चूक के मामले में अपनाई जाने वाली अनुशासनिक प्रक्रिया ;
- (ग) बैठकों की तिथियों तथा बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिए भी प्रत्येक प्राधिकरण के सदस्यों को नोटिस देने ;
- (घ) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (ङ) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अधीन सम्बद्ध तथा उपबंधित किये गये सभी मामले।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम, ऐसी तिथि, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, को लागू होगा।

41. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, ऐसे निर्देश जो इसे जारी किए जाएं, का पालन करेगा।

(2) राज्य सरकार, किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त इसे किये गये आवेदन पर, पारित किये गये किसी आदेश या जारी किये गये निर्देशों की वैधता या उपयुक्तता या सहीपन के बारे में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निपटाए गए किसी मामले या पारित किए गये आदेश के अभिलेख मांग सकती है तथा उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकती है या ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो वह ठीक समझे :

परन्तु राज्य सरकार, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर किए बिना पारित नहीं करेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या इसके विकास संकर्मों के निरीक्षण या परीक्षण के लिए तथा उस पर रिपोर्ट करने के लिए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकती है तथा इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी ऐसे निरीक्षण या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए—

- (क) इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण या किसी समिति की किसी कार्यवाही, अभिलेख, पत्र-व्यवहार, योजना या अन्य दस्तावेजों से कोई उद्धरण;
- (ख) किसी विवरणी, अनुमानों, लेखा के विवरण, सांख्यिकी;
- (ग) किसी रिपोर्ट,

की मांग कर सकता है तथा विश्वविद्यालय उसे प्रस्तुत करेगा।

42. इस अधिनियम, परिनियमों तथा विनियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में किसी बात, जो सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, के लिए किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण।

43. (1) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से छह मास की अवधि या अनधिक ऐसी दीर्घतर अवधि जो एक वर्ष से अधिक नहीं है, के भीतर जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश करे, विश्वविद्यालय के बोर्ड तथा अन्य प्राधिकरणों को गठित करने के लिए व्यवस्था करे।

प्रथम कुलपति की अस्थाई शक्तियां।

(2) प्रथम कुलपति, कुलाधिपति के परामर्श से, ऐसे विनियम बना सकता है, जो विश्वविद्यालय के कृत्य करने के लिए आवश्यक हों।

(3) प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परिनियमों के प्रारूप, जो तुरन्त आवश्यक हों, बनाए तथा उन्हें अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करे।

(4) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी तथा ऐसे समय तक इस अधिनियम के अधीन कोई प्राधिकरण सम्यक् रूप से गठित नहीं किया जाता है, तो प्रथम कुलपति इस अधिनियम के अधीन ऐसी समिति की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए अस्थाई रूप से किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है या किसी समिति का गठन कर सकता है।

अधिकारियों का लोक सेवक होना।

44. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट।

45. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के दौरान बनाये गये विस्तृत कार्यक्रमों, नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों के संशोधन का विवरण देते हुए, कुलपति के निदेशाधीन तैयार की जायेगी तथा बोर्ड को ऐसी तिथि को या इसके बाद, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, प्रस्तुत की जायेगी तथा बोर्ड रिपोर्ट पर अपनी बैठक में विचार करेगा।

अध्याय—VII

वित्त, लेखा तथा लेखा—परीक्षा

सामान्य निधि।

46. विश्वविद्यालय की सामान्य निधि होगी तथा इसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा, अर्थात् :—
- (क) विश्वविद्यालय की फीस, विन्यास, अनुदान तथा सम्पत्तियों से आय ;
- (ख) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से, ऐसी शर्तों पर, जो उस सरकार द्वारा अधिरोपित की जाएं, प्राप्त अंशदान तथा अनुदान ; तथा
- (ग) अन्य अंशदान, अनुदान, चंदा तथा दान।

अन्य निधि।

47. विश्वविद्यालय ऐसी अन्य निधियां, जो विहित की जाएं, रखेगा।

वित्त समिति का गठन।

48. विश्वविद्यालय निम्नलिखित सदस्यों को मिलाते हुए वित्त समिति का गठन करेगा, अर्थात् :—
- (क) कुलपति ;
- (ख) नियन्त्रक ;
- (ग) बोर्ड द्वारा अपने सरकारी सदस्यों में से चुना गया सदस्य ; तथा
- (घ) बोर्ड द्वारा अपने गैर-सरकारी सदस्यों में से चुना गया सदस्य।

वित्त समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य।

49. (1) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—
- (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों का परीक्षण करना तथा उन पर बोर्ड को सलाह देना ;
- (ख) वार्षिक बजट अनुमानों का परीक्षण करना तथा उन पर बोर्ड को सलाह देना ;
- (ग) विश्वविद्यालय की समय-समय पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना ;
- (घ) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित सभी मामलों पर सिफारिश करना ; तथा
- (ड.) बोर्ड को सभी अन्तर्वलित खर्च प्रस्तावों, जिनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है या जिनके लिए बजट में उपबंधित राशि से अधिक खर्च अन्तर्वलित है, पर सिफारिश करना।

(2) राज्य सरकार को लेखे तथा तुलन-पत्र बोर्ड के माध्यम से कुलपति द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जो उनकी लेखापरीक्षा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करवाएगा।

(3) लेखें जब लेखा परीक्षित हों जाएं, मुद्रित किए जाएंगे तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ उनकी प्रतियां कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जाएंगी जो राज्य सरकार को उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो वह उपयुक्त समझे, भेजेगा।

राज्य सरकार की सीधी लेखा-परीक्षा करने की शक्ति।

50. राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के लेखों की ऐसे लेखा-परीक्षक या अभिकरण, जिसे वह निदेश करे, द्वारा विशेष लेखा-परीक्षा करने के आदेश करने की शक्ति होगी।

अध्याय—VIII

विविध

51. यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा या के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाहियां।
वाद, अपील या किसी भी स्वरूप की अन्य कार्यवाही लम्बित है, तो वह विद्यमान विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के कारण समाप्त नहीं होगी या बंद नहीं की जाएगी या किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, किन्तु ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाहियां सम्बद्ध विश्वविद्यालय जिससे पुनर्गठन के बाद ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही की विषय वस्तु से संबंधित है, द्वारा जारी रखी जाएंगी, अभियोजित की जाएंगी या प्रवर्तित की जाएंगी या के विरुद्ध जारी रहेंगी, अभियोजित रहेंगी या प्रवर्तित रहेंगी।
52. विश्वविद्यालय द्वारा या के विरुद्ध सभी वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में, अभिवचन अभिवचनों का
कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किये जाएंगे तथा ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों में सभी प्रक्रिया अधिप्रमाणीकरण।
जारी की जाएंगी तथा उसको तामील की जाएंगी।
53. यदि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व विद्यमान विश्वविद्यालय ने कोई परीक्षा आयोजित विद्यमान
की है, किन्तु उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, तो ऐसे मामलों में, विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा
विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करेगा तथा उपाधि, उपाधि-पत्र, प्रमाण-पत्र तथा मार्क-शीट, जैसी भी निर्वहन की जाने
स्थिति हो, प्रदान करेगा। वाली बाध्यता।
54. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्य रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कठिनाइयां दूर करने
राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न की शक्ति।
हों, कर सकती है जो कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :
- परन्तु इस धारा के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

केन्द्रीय सरकार ने 2014-15 के बजट में हरियाणा राज्य में एक उद्यान विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है तथा राज्य में उद्यान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केन्द्रीय बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस समय राज्य में उद्यान विज्ञान का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। प्रस्तावित बिल हरियाणा राज्य उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये है।

विक्रम सिंह यादव,
राज्य मंत्री, कृषि, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 27 नवम्बर, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।